(b) and (c). Question does not arise since no Marine National Park has been set up so for in the Andaman & Nicobar Islands.

Cases of Illegal Encroachment

6909. SHRI DIGVIJAY SINH: Will the Minister of AGRICUL-TURB be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4516 on 22 March 1982 regarding achievement of National Forest Policy and state:

- (a) how many illegal encroachments committed to the courts during the last two years have been compounded by payment of nominal fines from each State; and
- (b) how many of such cases have actually resulted in eviction in each State:

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICUL-TURE AND RURAL DEVELOP-MENT (SHRI R.V. SWAMI-NATHAN): (a) and (b). Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

लगान की वसूली

- 6911. श्री निहाल सिंह: नया कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या ग्रोला वृष्टि, बाढ़ भीर सुखे के कारण फसल को 50 प्रतिशत से ग्रधिक की हानि की स्थिति में लगान, तकाबी और बैंक ऋ गों की वसूली रोक दी जाती है;
- (ख) क्या रोके गये ऋगों पर किसानों को भगले वर्ष दुगना क्याज देना पड़ता है जिसके कारण उन पर अतिरिक्त भार पड़ता है;

- (ग) यदि हां, तो क्या सरकार यह स्निध्चित करेंगी कि प्राकृतिक भापदाभों के कारएा जिन ऋगों की वसूली रोकी जाये उन पर भविष्य में कोई ब्याज न लिया जाये : भीर
- (घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) राज्य सरकारें प्राकृतिक श्रापदा के स्वरूप और उसकी सीमा को घ्यान में रखते हए भु-राजस्व तथा तकाबी की वसुली के स्थगन के सम्बन्ध में निर्ण्य लेती

जहां तक बैंकों का सम्बन्ध ऋगों का फिर से निर्धारित किया जाना है भीर इसकी वसुली लम्बी श्रवधि तक कर दी जाती है। सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऋगा लेने वालों की ग्रदायगी की क्षमता की ध्यान में रखते हुए ऋ गों को फिर से निर्धारित करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं।

(ख) भीर (ग) जहां तक सहकारी ऋरगों का सम्बन्ध है घल्पावधि ऋरगों को मध्याविध ऋगों में बदलने भीर दीर्घाविध ऋगा की किस्तों को फिर से निर्धारित करने की सुविधायें उपलब्ध हैं। तथापि ऋगा लेने वालों से यह धाशा की जाती है कि वे देय ब्याज की श्रदायगी करें। छोटे ग्रीर सीमान्त किसानों के मामले में जब उनके उत्पादन ऋगा को मध्यावधि ऋगा में तबदील किया जाता है, ब्याज की मदा-यगी पर जोर नहीं दिया जाता है।

जहां तक वाणिज्यिक ऋगों का सम्बन्ध है, ब्याज की दरें भारतीय रिजर्ब बैंक के